(11)

संख्या : 637/XVIII(1)/2004-10(4)/2004

प्रेषक,

एस०के० मट्टू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल,
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग : देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2005

विषय: पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण योजना।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में ऐतिहासिक रूप से सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने की परम्परा है। यहाँ के निवासियों की अनुशासन व सैनिक कुशलता एवं बहादुरी को दृष्टिगत रखते हुये अंग्रेजी शासनकाल में भी कुमायूं रेजीमेण्ट व गढ़वाल रेजीमेण्ट स्थापित की गई। अभी भी उत्तरांचल में नवयुवक पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं।

2. सशस्त्र सेनाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उनमें कार्यरत सैनिकों को 35–40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अतः राष्ट्रीय नीति के अनुसार सेवानिवृत्त होनेवाले सैनिकों का नागरिक जीवन में पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार तत्पर है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व सैनिकों के पुनर्वासन हेतु महानिदेशक पुनर्वास का कार्यालय स्थापित है तथा राज्यों में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय हैं।

3. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के मुख्यतः 2 स्रोत हैं : स्वतः रोजगार व राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति।

4. वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु पुलिस विभाग में विशेष व्यवस्था के अधीन कतिपय पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा के आधार पर सेवायोजन के अतिरिक्त पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से नियुक्ति मिलने की सूचना नहीं है। इस प्रकार पूर्व सैनिक, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों के लिए स्वतः रोजगार ही पुनर्वास/जीवन यापन का एक मुख्य साधन रह जाता है।

-2/--

5. अतः यह देखा गया है कि सशस्त्र सेनाओं से सेवा सैनिकों का नागरिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है तथा पूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन अपनाने तथा कोई पेशेवर व्यवसाय अथवा रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकार पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नई योजना प्रस्तावित की गई है।

6. योजना अन्तर्गत भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे, जो निम्नवत् हैं :

6.1. **नागरिक जीवन के प्रति अभिमुखीकरण :** इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत पूर्व सैनिक द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होने पर 20–20 पूर्व सैनिकों के समूह में नागरिक जीवन के प्रति अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत नागरिक जीवन से सम्बन्धित विषयों, जैसे नागरिक प्रशासन व्यवस्था, भूमि के सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में कानून एवं सेवाओं की व्यवस्था, नागरिक जीवन हेतु जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन, गैस आपूर्ति, उचित दाम पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति आदि विषयों पर जानकारी दी जायेगी व यथासम्भव प्रशिक्षण के दौरान इच्छुक पूर्व सैनिकों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों को उत्तरांचल पुनर्वास निधि द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास परिषद द्वारा स्वयं आयोजित किया जायेगा, जिस पर अनुमानित व्यय निम्न प्रकार होगा :

(रुपयों में)

1.	प्रशिक्षण स्थल (यदि आवश्यक हो) को किराये पर लेने पर होनेवाला व्यय	= 250 x 3 दिवस =	750.00
2.	एक घण्टे का प्रशिक्षण सत्र के लिए आमंत्रित वक्ताओं का मानदेय का भुगतान	@ 100 x 10 वक्ता =	1000.00
3.	प्रशिक्षण सामग्री	@ 100 x 20 प्रशिक्षणार्थी =	2000.00
4.	प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान	@ 400 x 20 प्रशिक्षणार्थी =	8000.00
		कुल योग =	रू.11750.00

6.2. पंजीकृत पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विज्ञापित रिक्तियों के लिए तैयार कराने हेतु कोचिंग की व्यवस्था : इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विज्ञापित पद की रिक्तियों के विपरीत आवेदित किये जानेवाले पूर्व सैनिकों को रिक्त पद के लिए निश्चित अर्हताओं के सम्बन्ध पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा जिस संगठन द्वारा रिक्ति विज्ञापित की गई है, उसके सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी। नियोजक द्वारा चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदित पूर्व सैनिकों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा, परन्तु यह केवल 3 बार ही दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण में साक्षात्कार के लिए तैयारी भी कराई जायेगी। यह प्रशिक्षण समूह के रूप में कराना कठिन है। यह सम्भावना है कि एक समय में 1 से 5 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, निदेशक सैनिक कल्याण द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के पैनल से निदेशक द्वारा निश्चित दरों के आधार पर सेवायें प्राप्त कर सकेंगे, जिनके माध्यम से प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह अनुमान है कि प्रति प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण पर रुपये 15 सौ का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता पर व्यय होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारण नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रदेश में रिक्ति कहीं भी हो सकती है और पूर्व सैनिक भी कहीं निवासरत हो सकता है। पूर्व सैनिक को यात्रा भत्ते के रूप में साधारण बस द्वारा की गई यात्रा अथवा द्वितीय श्रेणी स्लीपर अथवा साधारण रेल द्वारा की गई यात्राओं पर होनेवाला वास्तविक व्यय तथा दैनिक भत्ता पूर्व सैनिक के रैंक के अनुसार राज्य सरकार के दरों के अनुसार देय होगा।

6.3. रोजगार परक प्रशिक्षण : यह प्रशिक्षण पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों के लिए आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन तथा उनके द्वारा चार्ज की जानेवाली फीस का अनुमोदन करेंगे। प्रशिक्षण उन व्यवसायों/विषयों पर आयोजित किया जायेगा, जो पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों द्वारा चुने जायें। जो प्रशिक्षण दिया जायेगा वह मान्यताप्राप्त होना चाहिए एवं यह वांछनीय है कि प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षार्थी को जो प्रमाण पत्र प्राप्त हो, वह या तो किसी विश्वविद्यालय या अन्य अधिकृत संस्था

से मान्यता प्राप्त हो अथवा उसकी रोजगार बाजार में मान्यता हो। प्रत्येक प्रशिक्षण में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यथा सम्भव प्रशिक्षणोपरान्त प्रमाण पत्र देने से पूर्व बाह्य परीक्षा/प्राप्त कौशल का बाह्य मूल्यांकन कराया जाये। प्रत्येक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देनेवाली संस्था द्वारा कम से कम 6 माह के लिए प्रशिक्षणार्थी को फॉलो-अप एवं प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जायेगा। प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं का समय-समय पर निदेशक सैनिक कल्याण मूल्यांकन करेंगे, जिसमें यह देखा जायेगा कि प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है, प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित की जानेवाली बाह्य परीक्षा में किस प्रकार का परीक्षाफल प्राप्त हुआ है अथवा बाह्य मूल्यांकन से प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में क्या टिप्पणी की गई है, तथा संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में क्या सफलता प्राप्त हुई है। सामान्यतः रोजगारपरक प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष रुपये 12 हजार से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा, परन्तु विशिष्ट मामलों में प्रमुख निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास आवश्यक समझें तो शासन की अनुमति प्राप्त करके रुपये 12 हजार प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक फीसवाला प्रशिक्षण भी आयोजित कर सकते हैं।

भवदीय,

(एस0के0 मुद्गल)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त